



2026:AHC-LKO:7861-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****विशेष अपील संख्या - 42 सन 2026**

अरविन्द कुमार यादव

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनामउत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव / सचिव खाद्य सुरक्षा
एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अपूर्व तिवारी, आकृति अग्रवाल, अशोक कुमार यादव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।

2. यह अपील अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.01.2026 को रिट-ए संख्या 49/2026 में पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली अपील है, जिसके द्वारा दिनांक 29.12.2025 के स्थानांतरण आदेश और उसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.01.2026 के सेवामुक्ति आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

3. अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का हमारे समक्ष यह तर्क है कि स्थानांतरण आदेश विधिवत रूप से दुर्भावनापूर्ण था, एक ऐसा पहलू जिस पर रिट न्यायालय ने उचित रूप से विचार नहीं किया। दूसरे, आरोप पत्र में केवल दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख है, इसलिए, केवल इस आधार पर कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को गाजियाबाद में बने रहने की अनुमति दी गई थी, यह मानने का कोई कारण नहीं हो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सकता कि वह जांच के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि ऐसी जांच में किसी भी गवाह की जांच प्रस्तावित नहीं है।

4. अपर महाधिवक्ता श्री अनुज कुदेसिया ने अपील का विरोध किया है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह निःसंदेह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में दिनांक 08.12.2025 के आदेश द्वारा उनकी कुर्की पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन यह इस आधार पर था कि उस समय कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं थी और रिट याचिका अभी भी लंबित है। इसके बाद, दिनांक 08.12.2025 के आदेश द्वारा विभागीय कार्यवाही के मददेनजर याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने रिट - ए संख्या 14448/2025 के माध्यम से इसे भी चुनौती दी और दिनांक 15.12.2025 के आदेश द्वारा रिट न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद, दिनांक 29.12.2025 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा याचिकाकर्ता का गाजियाबाद से महोबा में सहायक आयुक्त, खाद्य-II के पद पर तबादला करने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश को अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने रिट - ए संख्या 49/2026 में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

6. जहां तक विधिवत दुर्भावना का सवाल है, केवल इसलिए कि कुर्की आदेश और निलंबन आदेश पर रोक लगने के बाद उनका गाजियाबाद से महोबा तबादला कर दिया गया है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इसमें विधिवत दुर्भावना शामिल है। ऐसा कोई नियम, कानून या अपेक्षित व्यवहार नहीं है जिसका उल्लंघन किया गया हो या जिससे विचलन हुआ हो, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए गए स्थानांतरण आदेश में विधिवत दुर्भावना थी। जहां तक इस अन्य तर्क का सवाल है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की गाजियाबाद में तैनाती से यह मानने का कोई उचित आधार नहीं बनता कि वह किसी भी तरह से अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि ये कार्यवाही सबसे पहले लखनऊ में होनी है, न कि गाजियाबाद में, और दूसरी बात, इसमें उल्लिखित साक्ष्य पूरी तरह से दस्तावेजी हैं, यह भी स्वीकार्य नहीं है। कुर्की आदेश पर रोक लगाते समय, प्रतिवादियों को प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित में, यदि आवश्यक हो, तो अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. दिनांक 29.12.2025 के स्थानांतरण के आदेश में यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि महोबा में सहायक आयुक्त, खाद्य-॥ का पद रिक्त था, अतः अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का तबादला वहाँ किया जा रहा है। यह पद स्थानांतरण योग्य है। दिनांक 29.12.2025 के स्थानांतरण के आदेश के कारण वेतन या भत्तों में कोई कटौती नहीं हुई है। इस स्थिति को देखते हुए, हम रिट न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद, यदि वह चाहे तो, स्थानांतरण प्राधिकारी के समक्ष उचित कारणों सहित अपना परिसमापन या स्थानांतरण करने हेतु आवेदन कर सकता है, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई आवेदन पहले से लंबित है, तो उस पर विचार किया जाएगा और इस आदेश या रिट याचिका की बर्खास्तगी से अप्रभावित रहते हुए, यथाशीघ्र, यानी तीन सप्ताह के भीतर, उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

8. निस्तारित किया गया।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 3, 2026

एम.वी.एस./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।